3.6.24 पत्रावली पेश हुई। वकिल पक्षकार अनुपस्थित।
P.O. मा. चुनाव कार्य से बाहर है।
पत्रावली वास्ते पालना प्रतिवेदन दि. 16.7.24
को पेश होवे।

(Kamalesh)

16.07.24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकार उपस्थित।
तहसीलदार सीमलवाडा द्वारा पालना रिपोर्ट
प्रस्तुत की गई, प्रति उभय पक्ष वकील प्रदान
की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार उक्त
राजस्व प्रकरण नोटिस जारी कर बटवारा
स्कीम तैयार करने हेतु दिनांक 03.07.24
पटवारी हल्का एवं भू. निरीक्षक मौके पर
उभय पक्ष के साथ पहुंचे। मौके पर वादीगण
रामलाल पिता मरता मयारा उपस्थित मिला।
वादी रामलाल ने दोनों पक्षों के राजीनामा
होना जाहिर किया एवं वर्तमान में दोनों पक्षों
में भूमि सम्बन्धी किसी तरह से विवाद
से इन्कार किया। वादीगण बन्टवारा नहीं
कराना चाहते हैं। वादीगण द्वारा सभी
भाइयों से विचार विमर्श करने के बाद
आपसी सहमती से ही बाद में बन्टवारा
कराने की इच्छा जाहिर की एवं वादी एवं
प्रतिवादी गण द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड
सीमलवाडा के दर्ज प्रकरण सं. 43/12 का

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

बन्टवारा करने से इन्कार किया गया।
रिपोर्ट तहसीलदार एवं वकील उभयपक्ष से
विमर्श करने से जाहिर होता है कि
उभयपक्ष में राजीनामा होना साबित होता
है एवं आपसी सहमति के बाद बन्टवारा
बाद में कराया जाने पर उभय पक्ष सहमत
है, न्यायालय के उक्त प्रकरण में उभय पक्ष
आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः पत्रावली
इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा